तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27/3/25	पत्रावली पेश। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक - 12/6/2025 को पेश हो।	
12/6/25 →	पत्रावली पेश। बहस वकील प्रार्थीगण सुनी गई। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक - 23/06/2025 को पेश हो।	
23/6/25	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि विवादित भूमि खसरा संख्या 1952 में हमारा लगभग 60 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है व समय–समय पर हमारे द्वारा उक्त भूमि की पैनल्टी राशि जमा करवाई जा रही है। कब्जा मुखालफाना के आधार पर हम विवादित भूमियों के खातेदार कृषक बन चुके है। उक्त भूमियों पर हमें खातेदार के रूप में दर्ज किया जावे व अप्रार्थी को पाबंद किया जावे कि वह हमें हमारे कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें व मौके पर हमें बेदखल नहीं करें। हमने वकील प्रार्थीगण द्वारा द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजों का अवलोकन किया। विवादित भूमि खसरा संख्या 1952 वाके ग्राम हिण्डोली में स्थित है, जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किए जाने हेतु निर्धारित बिन्दुओं पर न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :– 1. <u>प्रथम दृष्ट्या मामला</u> :– विवादित भूमि खसरा संख्या 1952 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में स्थित है, जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के आधार पर अधिकार घोषणा दावा पेश कर घोषणा चाही गई है व अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि पर	

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बन रहा है। 2. सुविधा सन्तुलन का सिद्धान्त :– विवादित भूमि खसरा संख्या 1952 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में स्थित है, जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के आधार पर अधिकार घोषणा दावा पेश कर घोषणा चाही गई है व अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बन रहा है। 3. अपूर्णीय क्षति की संभावना :– विवादित भूमि खसरा संख्या 1952 वाके ग्राम हिण्डोली पटवार मण्डल हिण्डोली में स्थित है, जो कि राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा कब्जे के आधार पर अधिकार घोषणा दावा पेश कर घोषणा चाही गई है व अप्रार्थी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया है। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण अतिक्रमी की हैसियत से काबिज होने से वर्तमान में प्रार्थीगण को कोई अपूर्णीय क्षति की संभावना बन रही है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के विवेचनानुसार प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने, सुविधा संतुलन का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के हक में नहीं बनने एवं प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति की संभावना नहीं बनने से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली	

seal and sign